महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय
अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 79वीं बैठक

कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक : 03 दिसम्बर, 2012 **प्रातः 11:30 बजे**

प्रबन्ध बोर्ड की 79वीं बैठक दिनांक 03 दिसम्बर, 2012 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड बैठक कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः-

01.	प्रोफेसर रूप सिंह बारेठ, कुलपति	अध्यक्ष
02.	प्रोफेसर रमाकांत, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
03.	प्रोफेसर पी.एस. वर्मा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद्)	सदस्य
04.	श्री कमल बैरवा, विधायक - निवाई, (टौंक्) (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
05.	प्रो. के.के. शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
06.	प्रो. लक्ष्मी ठाकुर, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
07.	श्री हनुमानसिंह भाटी, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर (शासन सचिव, वित्त विभाग के प्रतिनिधि)	सदस्य
08.	डा0 (श्रीमति) पुष्पा सांखला (आयुक्त, महाविद्यालय शिक्षा, जयपुर के प्रतिनिधि)	सदस्य
09.	श्री आशुतोष गुप्ता कुलसचिव	सदस्य सचिव

अनुपस्थित सदस्य

01.	डॉ. रघुनंदन शर्मा, विधायक केकड़ी, (अजमेर) (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
02.	शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राज. सरकार, जयपुर	सदस्य
03.	शासन सचिव, आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय ने प्रबंध बोर्ड के नवनियुक्त सदस्य प्रो0 लक्ष्मी ठाकुर एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री आशुतोष गुप्ता को शुभकामनाएँ दी तथा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया तथा आशा व्यक्त की कि प्रबंध बोर्ड के समस्त सदस्यों के पूर्ण सहयोग से विश्वविद्यालय विकास की ओर उन्मुख होगा तथा प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही में सभी का सहयोग मिलेगा। तत्पश्चात कुलपति महोदय द्वारा कुलसचिव को प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया एवं निम्नानुसार निर्णय लिए गए :-

मद	विवरण	अनुभाग/ विभाग
मद सं. 1	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 07.04.2012 को सम्पन्न हुई 78वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes) की पुष्टि करना । उक्त कार्यवृत्त की एक प्रति सभी माननीय सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ. 13 (78) शैक्षणिक-I/मदसविवि/ 2012/ 14250-60 दिनांक 11.04.2012 के द्वारा प्रेषित की गई ।	**शैक्षणिक-I**
निर्णय	**पुष्टि की गयी।**	
मद सं. 2	प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 8 अगस्त, 2011 की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक उन्नयन के लिये प्रबन्ध बोर्ड के माननीय सदस्य प्रोफेसर रमाकान्त को प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये अधिकृत किया गया था । जिसके क्रम में प्रोफेसर रमाकान्त समिति की दिनांक 28 मार्च, 2012 को आयोजित प्रथम बैठक की अनुशंषायें प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है । **(परिशिष्ट-I)**	**शैक्षणिक-II**
निर्णय	**अनुशंषाऐं अनुमोदित की गयीं । संशोधित प्रश्नावली समस्त विभागों को भिजवाने के साथ ही उक्त कमेटी का विस्तार करते हुए एक कमेटी का गठन किया गया :** **प्रो0 रमाकान्त, संयोजक** **प्रो0 पी.एस.वर्मा, सदस्य** **प्रो0 के.के.शर्मा, सदस्य** **प्रो0 बी.पी.सारस्वत, सदस्य** **प्रो0 मनोज कुमार, सदस्य** **श्री आर.के.व्यास, उप कुलसचिव, सदस्य सचिव**	
मद सं. 3	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के परिसर (चार दिवारी) के अन्दर विभिन्न खातेदारों की भूमियां स्थित है जिससे चार दिवारी का निर्माण कार्य रूका हुआ है। इस परिसर में विश्वविद्यालय सभी भवन बने हुए है । जिनकी सुरक्षार्थ अपूर्ण चार दिवारी का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है । इन भवनों में विश्वविद्यालय के कार्यालय छात्र/छात्राओं के छात्रावासों, उद्याान, वृक्ष, ट्यूब वैल, स्टोर आदि की सुरक्षा, खेल परिसर के विस्तार के साथ अनाधिकृत असामाजिक तत्वों का विश्वविद्यालय परिसर में आवागमन रोकने हेतु अपूर्ण चार दिवारियों का निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी । प्रस्तावित भूमि जो अवाप्त की जानी है उस भूमि का क्षेत्रफल 36 बीधा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी है। परिसर में आई हुई भूमि 36 बीधा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी की अवाप्ति हेतु सचिव शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग राजस्थान सरकार को विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 6421 दिनांक 25. 02.10 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है । उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89 पर स्थित है तथा इस भूमि में दो कुएं भी बने हुए है । राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डी.एल.सी. की दर अनुसार खातेदारों को भुगतान की जाने वाली अनुमानित राशि लगभग चार करोड़ पन्द्रह लाख	**सहायक अभियन्ता/वित्त एवं लेखा**

बानवे हजार रूपये होगी । इस आशय हेतु बजट की आवश्यकता है ।

अतः इस भूमि (क्षेत्रफल 36 बीधा 09 बिस्वा 10 बिस्वांसी) को अवाप्त करने हेतु बजट स्वीकृति के लिए प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ रखा जाना है ।

निर्णय **प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है। उक्त राशि का वर्ष 2013-14 के वार्षिक बजट में प्रावधान रखा जावे।**

मद सं. 4 माननीय कुलपति महोदय के दिनांक 01.10.12 के आदेशानुसार विशेष योग्यजन (समान, अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम-1955 के तहत राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21.07.11 को जारी अधिसूचना के प्रावधानों को विश्वविद्यालय में भी लागू करने पर विचार करना । **(परिशिष्ट- II)** **संस्थापन**

निर्णय **राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2011 विश्वविद्यालय में भी प्रवृत करने का निर्णय लिया गया साथ ही निर्णय किया कि जिन भवनों में निशक्तजनों हेतु रैम्प नहीं है, वहां अविलम्ब रैम्प का निर्माण किया जावे।**

मद सं. 5 **माननीय कुलपति महोदय के निम्नांकित प्रतिवेदित आदेशों का अभिलेखन एवं पुष्टि करनाः-**

(1) **प्रतिवेदन है कि** माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 24.08.12 के द्वारा श्री एन.के. शर्मा, सेवानिवृत्त आर.ए.एस. को राज्य सरकार के कार्मिक विभाग (AII) द्वारा उनके परिपत्र नं0 17 (10)DOP/A-II/94 दिनांक 08/07/11 के तहत संविदात्मक आधार पर समेंकित मानदेय राशि रूपये 20,000/- प्रतिमाह पर कार्यग्रहण करने की तिथि से 06 माह अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ 1 ( ) संस्था/मदसविवि/2012/28156 दिनांक 25.08.12 के तहत नियुक्ति प्रदान की गई है । माननीय कुलपति महोदय के उपरोक्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **संस्थापन**

(कार्यसूची का परिशिष्ठ- III)

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(2) **प्रतिवेदन है कि** विश्वविद्यालय के अध्यादेश 124 में अधिसूचना क्रमांक एफ. 13()Acad/MDSU/2011/17983 दिनांक 19.04.2011 द्वारा अधिसूचित प्रावधानों को प्रभावी करने में आ रही कठिनाइयों का निराकरण करने हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति की अनुशंषाओं पर कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश 124 में जो संशोधन किये हैं, वे अधिसूचना क्रमांक F 15/Res/MDSU/2012/78884 दिनांक 13-8-12 द्वारा अधिसूचित किये गये । माननीय के आदेश पुष्टि हेतु प्रतिवेदित है । **(संलग्न परिशिष्ट- IV)** **शोध अनुभाग**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(3) प्रतिवेदन है कि प्रोफेसर सतीश अग्रवाल, प्रबन्ध अध्ययन विभाग को कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/2008/2880 दिनांक 11. **संस्थापन**

08.2008 के तहत निलंबित किया गया । विश्वविद्यालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 11.09.2012 में प्रदत्त अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में प्रोफेसर अग्रवाल को उन्हें दिये गये आरोप पत्रों के निस्तारण के अध्यधीन, माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार तुरन्त प्रभाव से बहाल किया गया । कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1 ( )संस्था/मदसविवि/ 2012/31085-91 दिनांक 27.09.2012 प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **(परिशिष्ट-V)**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(4) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> रजत जयन्ती व्याख्यान माला में भाषण देने हेतु आमंत्रित वक्ता को मानदेय के रूप में रजत जयन्ति समिति की अनुशंषा पर राशि रू. 5100/- दिया जाना माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 30.10.12 के अनुसार नियत किया गया था । उक्त आदेश की पुष्टि हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है । **(परिशिष्ट-VI)** **रजत जयन्ती समिति**

निर्णय **पुष्टि की गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि रजत जयन्ती व्याख्यान माला में आगामी आमन्त्रित वक्ताओं को भी इसी अनुसार मानदेय दिया जावे। यह व्यवस्था रजत जयन्ती व्याख्यान माला तक प्रभावी रहेगी।**

(5) <u>**प्रतिवेदन है कि**</u> UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 दिनांक 30–6–2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अहर्ताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार विश्वविद्यालय के "Ordinances Governing Service Conditions etc. of University Teachers and Employees 1998" के अंतर्गत Schedule-I (Categories and Nature of Teaching and Non-Teaching Post in the University) में उक्त पदों के लिए विद्यमान शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं को संशोधित रूप में प्रवृत किया गया। तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13( )शैक्ष–प्रथम/ मदसविवि/2010/31503–891 दिनांक 27.08.10 जारी की गयी। **(कार्यसूची का परिशिष्ट– VII)** **संस्थापन**

उक्त प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड की 76वीं बैठक दिनांक 08.08.2011 के मद संख्या 6 पर प्रस्तुत किया गया था जिस पर यह निर्णय किया गया कि

<u>निर्णय</u>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.06.2010 को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की ऐकेडमिक कौंसिल ने संशोधित कर प्रस्ताव पारित किया है, उसी के अनुरूप इस विश्वविद्यालय की ऐकेडमिक कौंसिल में भी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे एवं तदनुरूप राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में एकरूपता बनाये जाने संशोधित अधिसूचना लागू करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।

इसकी पालना में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त करने पर उनके पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 30.06.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि **" मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की एकेडमिक कौंसिल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.06.2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों पर दर्शित न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अर्हताओं में किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया गया है ।"   (कार्यसूची का परिशिष्ट– VII-A)**

निर्णय **मद सं0 20 के निर्णयानुसार**

(6) <u>प्रतिवेदन है कि</u> UGC Regulations on minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff in Universities & Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education 2010 दिनांक 30–6–2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/महाविद्यालय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अहर्ताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 19 (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरन्त प्रभाव से स्वीकृति प्रदान की है । तदनुसार विश्वविद्यालय के "Ordinances Governing Service Conditions etc. of University Teachers and Employees 1998" के अंतर्गत Schedule-III A-II-(b) में उक्त पदों के लिए विद्यमान शैक्षणिक योग्यताओं एवं अर्हताओं को संशोधित रूप में प्रवृत्त किया गया । तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13 ( ) शैक्ष–प्रथम/मदसविवि/2010/69–459 दिनांक 05.01.11 जारी की गयी ।   **(कार्यसूची का परिशिष्ट– VIII)** **संस्थापन**

उक्त प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड की 76वीं बैठक दिनांक 08.08.2011 के मद संख्या 6 पर प्रस्तुत किया गया था जिस पर यह निर्णय किया गया कि

<u>निर्णय</u>

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.06.2010 को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की ऐकेडमिक कौंसिल ने संशोधित कर प्रस्ताव पारित किया है, उसी के अनुरूप इस विश्वविद्यालय की ऐकेडमिक कौंसिल में भी प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जावे एवं तदनुरूप राज्य के समस्त विश्वविद्यालयों में एकरूपता बनाये जाने संशोधित अधिसूचना लागू करने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया जावे।

इसकी पालना में मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से जानकारी प्राप्त करने पर उनके पत्र क्रमांक 1082 दिनांक 30.06.2012 द्वारा अवगत कराया गया कि **"मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की एकेडमिक कौंसिल द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 30.06.2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेन्ट प्रोफेसर के पदों पर दर्शित न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता/वांछित योग्यताओं और अर्हताओं में किसी प्रकार कोई संशोधन नहीं किया गया है ।"**

निर्णय **मद सं0 20 के निर्णयानुसार**

7) एस0बी0 सिविल याचिका क्रमांक 9688/2009 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा दिनांक 03.02.2011 को किए गए observations के आधार पर

माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों की कालांश के आधार पर कक्षाएं लेने हेतु अतिथि शिक्षक के रूप में आमन्त्रित व्यक्तियों के लिए दिशा निर्देश निर्धारित कर कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2011/30030 दिनांक 26.08.2011 जारी किया गया। **(परिशिष्ट XI)** तत्पश्चात् आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/ मदसविवि/2011/34853-900 दिनांक 14. 10.2011 **(परिशिष्ट XII)** के तहत जारी शुद्धि पत्र आदेश क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/ 2011/39488-120 दिनांक 23.12.2011 **(परिशिष्ट XIII)** क्रमांक एफ.6( ) एस.एफ.एस./मदसविवि/2012/23098-102 दिनांक 28.06.2012 **(परिशिष्ट XIV)** एवं क्रमांक एफ.1( )संस्था/मदसविवि/2012/24778 दिनांक 18.07.2012 जारी कर आंशिक संशोधन किया गया। **(परिशिष्ट XV)**

उक्त आदेशों की पुष्टि हेतु प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष प्रतिवेदनार्थ मद अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(8) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.12(4)एफ.डी.(रूल्स)/2008 जयपुर दिनांक 27.09.2012 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय पेन्शनर्स/परिवार पेन्शनर्स को दिनांक 01.07.2012 से महंगाई राहत 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No.F6(41)A&F/MDSU/2012/2961-85 dated 06-10-2012 जारी किया गया है। **(परिशिष्ट XVI)** **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(9) प्रतिवेदन है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक एफ.6(1)एफ.डी.(रूल्स)/2008 जयपुर दिनांक 27.09.2012 के अनुरूप व शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2012 से महंगाई भत्ता 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत भुगतान की स्वीकृति के आदेश माननीय कुलपति महोदय ने प्रदान किये है। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक No.F6(41)A&F/MDSU/2012/2894-2932 dated 03-10-2012 जारी किया गया है। **(परिशिष्ट XVII)** **लेखा एवं वित्त**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(10) प्रतिवेदन है कि सेवारत राज्य कर्मचारियों को अवकाश के बदले में नकद भुगतान की सुविधा दिए जाने हेतु वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश संख्या एफ. 1(12)एफ.डी.(रूल्स)2005 दिनांक 03.04.2008 को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश एफ.1()संस्था/मदसविवि/2008/21693-757 दिनांक 30.04.2008 **(परिशिष्ट XVIII)** एवं राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 1(12)एफ.डी.(रूल्स)2005 दिनांक 06.02.2009 को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश क्रमांक एफ.1(254)संस्था/मदसविवि/2009/23448 दिनांक 23.05.2009 द्वारा विश्वविद्यालय में सेवारत शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान क्रमशः वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 एवं आगे के लिए उन कार्मिकों किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है जिन्होंने एक साल की सेवा पूर्ण कर ली है। **(परिशिष्ट XIX)** **संस्थापन**

उक्त कार्यालय आदेशों की पुष्टि हेतु मद प्रबन्ध बोर्ड के प्रतिवेदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **पुष्टि की गयी। भविष्य में भी कुलपति / शिक्षक / अधिकारी एवं कर्मचारियों हेतु उक्त प्रावधान लागू होंगे। वित्त विभाग के उक्त आदेश को विश्वविद्यालय में प्रभावी किया जाता है।**

(11) प्रतिवेदन है कि माननीय कुलपति महोदय द्वारा 19(4) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यादेश 124 में संशोधन हेतु आदेश प्रदान किए तद्नुसार अधिसूचना क्रमांक एफ. 13( )शैक्ष.I/मदसविवि/2011/17983 दिनांक 29.04.2011 जारी की गई। **शैक्षणिक–I/ शोध अनुभाग**

(परिशिष्ट XX)

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(12) प्रतिवेदन है कि डॉ. दिनेशचन्द्र शर्मा, उपकुलसचिव-सामान्य प्रशासन को विश्वविद्यालय के सत्र 2004-05, 2005-06, 2006-07 एवं 2007-08 के वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार को नहीं भिजवाने के प्रकरण में सत्र 2006-07 एवं 2007-08 का वार्षिक प्रतिवेदन निर्माण एवं मुद्रित नहीं करने के लिए प्रथमदृष्टया उन्हें दोषी पाये जाने के आधार पर विश्वविद्यालय के आचरण एवं अनुशासन नियम बी. 2.II.3 के प्रधानान्तर्गत कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1()संस्था/मदसविवि/2012/14319 दिनांक 11.4.2012 **(परिशिष्ट XX-A)** द्वारा निलंबित किया गया था। माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार डॉ. दिनेश चन्द्र शर्मा का निलंबन कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1()/संस्था/मदसविवि/2012/14417-25 दिनांक 13.4.2012 **(परिशिष्ट XX-B)** के तहत आदेशित जांच के अध्यधीन (Pending enquiry) निलंबन वापस (revoke) लिया गया। इस निमित्त कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 1()संस्था/मदसविवि/2012/25920 दिनांक 26.7.2012 **(परिशिष्ट XX-C)** जारी किया गया। मद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **संस्थापन**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(13) प्रतिवेदन है कि श्री मोहम्मद जफ़र, विश्वविद्यालय सेवा से सेवानिवृत्त कनिष्ठ लिपिक को कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. ()संस्था/मदसविवि/2012/17470 दिनांक 12.5.2012 के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली समेकित राशि की संशोधित दरों के आधार पर समेकित राशि रूपये 4500/- प्रति माह पर कार्य ग्रहण की तिथि से 06 माह के लिये नियुक्त किया गया। यह अवधि 14.11.2012 को समाप्त हुई। इसकी निरन्तरता में पूर्व की दरों एवं शर्तों पर इनकी संविदात्मक नियुक्ति का अवधि विस्तार दिनांक 31 मार्च, 2013 तक किया गया। श्री जफर संविदात्मक नियुक्ति बाबत् आदेश क्रमांक एफ. 1()संस्था/मदसविवि/2012/17433 दिनांक 12.5.2012 **(परिशिष्ट XX-D)** एवं एफ. 1()संस्था/मदसविवि/2012/36429 दिनांक 29.11.2012 **(परिशिष्ट XX-E)** जारी किये गये। मद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। **संस्थापन**

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

(14) प्रतिवेदन है कि विश्वविद्यालय के विधि विभाग में संचालित पाठ्यक्रम के निमित्त अध्यापन, शैक्षणिक एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए प्रोफेसर जे.के.मलिक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर निवासी 651, महावीर नगर, टोंक रोड़, जयपुर को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-1(73)/संस्था/मदसविवि/2012/1929-2000 दिनांक 21.01.2012 के आधार पर 25,000/- रूपये प्रति माह मानदेय पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार कार्य **संस्थापन**

ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए नियुक्ति प्रदान की गयी। तद्नुसार कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.1( ) संस्था/मदसविवि/2012/14694 दिनांक 18.4.2012 जारी किया गया। **(परिशिष्ट XX-F)** मद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **पुष्टि की गयी।**

मद सं. 6 विश्वविद्यालय द्वारा खुली निविदा के आधार पर मैसर्स जगदम्बा एन्टरप्राईजेज ऐजेन्सी, लोहाखान, अजमेर को कार्यादेश क्रमांक 28734 दिनांक 11.08.2011 द्वारा विश्वविद्यालय में परीक्षा तथा अन्य दैनिक कार्यों के लिये अकुशल श्रमिक राज्य सरकार के नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी रूपये 135/– प्रति अकुशल श्रमिक प्रतिदिन (सर्विस चार्ज अलग) आपूर्ति करने हेतु 01.08.2011 से 31.07.2012 तक एक वर्ष के लिये आदेश प्रदान किये गये थे। **सामान्य प्रशा.**

विश्वविद्यालय क्रय समिति दिनांक 25.07.2012 की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय में परीक्षा एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिये अकुशल श्रमिक रखने हेतु निविदा सूचना संख्या 32 दिनांक 10.07.2012 जारी कर प्रकाशित करा दी थी। निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्तों को लेखा एवं वित्त शाखा में भारित करने हेतु भिजवाया गया था लेकिन वित्त नियंत्रक महोदय ने अवगत कराया कि वित्त विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रपत्र क्रमांक एफ(5)वित्त/2002 दिनांक 24.10.2002 के अनुसार दैनिक कार्यों के लिये जॉब संबंधी निविदा जारी की जाय।

विश्वविद्यालय के परीक्षा एवं अन्य दैनिक कार्यों के लिये रखे जाने वाले अकुशल श्रमिक दैनिक कार्य की प्रकृति के अनुसार जॉब के अनुसार नहीं किया जा सकता कारण कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार का कार्य अकुशल श्रमिकों द्वारा कराया जाता रहा है जैसे– उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल सिलना, बण्डल बनाना, बण्डल लोड करना, विभिन्न परीक्षा केन्द्रों से बण्डल का संग्रह एवं अन्य विभागों में परीक्षा के दौरान छात्रों को पानी पिलाना, कुर्सी टेबल साफ करवाना विभिन्न विभागाध्यक्ष के पास ड्यूटी करना, छात्रावास, विश्वविद्यालय अतिथिगृह, शासकीय आवास इत्यादि।

अतः विश्वविद्यालय के कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए जॉब बेसिस के आधार पर अकुशल श्रमिक लगाया जाना सम्भव नहीं है। अतः खुली निविदा पूर्व वर्षों की भांति जारी कर विश्वविद्यालय के दैनिक कार्य हेतु राज्य सरकार के नियमानुसार देय मजदूरी एवं सर्विस टैक्स पर अकुशल श्रमिक लगाये जाने हेतु मद प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय **पूर्व वर्षों की भांति खुली निविदा जारी कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी पर श्रमिक लगाये जावें परंतु गोपनीय अनुभाग एवं प्रयोगशालाओं में लगाये जाने वाले श्रमिकों की विस्तृत जांच पड़ताल कर ही उन्हें कार्य पर लगाया जावे।**

मद सं. 7 विश्वविद्यालय के कार्यालय उपयोग में लिये जाने वाला स्टील फर्नीचर व टेबल कुर्सियां आदि खुली निविदाऐं द्वारा क्रय की जाती थी। प्राप्त निविदाओं के आधार पर फर्नीचर सही गुणवता का प्राप्त नहीं होता था। लेखा एवं वित्त नियमानुसार निम्न दरदाता से सामग्री क्रय कि जानी होती है। **लेखा एवं वित्त**

विश्वविद्यालय की स्थापना पश्चात् पुस्तकालय एंव अन्य विभागों हेतु फर्नीचर क्रय करने हेतु दिनांक 12.02.1993 को मैसर्स गोदरेज़ एण्ड वॉयस कम्पनी से वि0वि0 क्रय समिति के साथ बैठक हुई के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रयोग हेतु अच्छी गुणवत्ता का फर्नीचर मैसर्स गोदरेज़ एण्ड वॉयस कम्पनी से 5%

+ 2.5 % की छूट लेते हुए क्रय किया जा रहा था।

भारत में स्टील तथा लकड़ी का फर्नीचर बनाने में गोदरेज़ कम्पनी गुणवत्ता की दृष्टि से अग्रणी कम्पनीयों में से एक कम्पनी है। विश्वविद्यालय क्रय समिति की बैठक दिनांक 03.02.1993 से गोदरेज कम्पनी के ब्रान्च मैनेजर से नेगेसिएशन कर 7.5 % स्पेशल छूट के साथ फर्नीचर क्रय कर रहे थे। वर्तमान में 8% छूट पर उक्त स्टील व लकड़ी का फर्नीचर क्रय किया जा रहा है।

माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 14.09.2012 पैरा संख्या 24 के अनुसार कैफेटेरिया हेतु गोदरेज फर्नीचर आपूर्ति आदेश दिनांक 491–98 दिनांक 22.09.2012 मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयज़ मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि0 से क्रय किया गया जो प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रतिवेदित एवं दिनांक 03.02.1993 की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार गोदरेज के फर्नीचर की निर्माता फर्म मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयज़ मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि0 से सीधे ही 8 प्रतिशत की छूट का लाभ लेते हुये भविष्य मेंक्रय किया जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। **(परिशिष्ट- IX)**

निर्णय **कैफेटेरिया में गोदरेज फर्नीचर आपूर्ति आदेश की पुष्टि की गयी तथा कबीर भवन में भी पूर्व की भांति ही गोदरेज फर्नीचर आपूर्ति का निर्णय लिया गया साथ ही भविष्य में विश्वविद्यालय में फर्नीचर के लिए डीजीएस एण्ड डी दरों वाली ब्राण्डेड फर्मों तथा कॉनफेड से जानकारी प्राप्त करने हेतु कुलसचिव, वित नियंत्रक एवं उप कुलसचिव, सा.प्र. की एक कमैटी गठित की गयी। समय सीमा एवं दरों में जो फर्म वि.वि. के उपयुक्त हो से भविष्य में फर्नीचर आपूर्ति का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 8 वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के यात्रा भत्ता नियमों के संशोधन आदेश संख्या एफ.6(3) एफ.डी./रूल्स/2012 जयपुर दिनांक 08 मई, 2012 के क्रम में इस विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता नियमों के निम्नांकित नियमों में संलग्न परिशिष्ट **X** के अनुसार यथा स्थान संशोधन किये जाने पर विचार करनाः- **वित्त एवं लेखा**

1. Appendix IV(A) of Rule 8(2)
2. Appendix IV(B) of Rule 8(2)

(परिशिष्ट-X)

निर्णय **राज्य सरकार के उक्त यात्रा भत्ता नियमों को विश्वविद्यालय में प्रभावी किए जाते हैं साथ ही टैक्सी से आने जाने के लिए अधिकृत शिक्षक/अधिकारी जो विश्वविद्यालय की विभिन्न बैठकों में आते हैं, उन्हें राज्य सरकार के प्रावधानानुसार नॉन एसी वाहन हेतु राशि रु.6.50 प्रति कि.मी. तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधानानुसार ए.सी. वाहन हेतु राशि रु.8.00 प्रति कि.मी. की दर से भुगतान किया जावे। इसके अतिरिक्त अतिथिगृह में अनुदानित दरों पर ठहरने हेतु अतिथिगृह समिति प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।**

मद सं. 9 प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 के कार्यवृत्त के निर्णय सं. 31 के तहत् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि संशोधन विनियम 2010 के प्रावधानों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों हेतु अंगीकृत एवं प्रवृत्त किये जाने किन्तु इन महाविद्यालयों में प्राचार्य पद की अधिकतम आयु राज्य सरकार के नियमानुसार ही मान्य किये जाने का निर्णय लिया गया। **शैक्षणिक II**

इस सम्बन्ध में लेख है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 2009 के विनियमों में प्राचार्य की आयु के सम्बन्ध में प्रावधान निम्नानुसार हैः–

Note: In the event of non-availability of eligible and suitable candidates for appointment as Principal/ Head as per above eligibility criteria, it would be permissible to appoint retired Professor/ Head in Education on contract basis for a period not exceeding one year at a time till such time the candidates complete 65 years of age.

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के संशोधित विनियम 2010 के अनुसार इस सम्बन्ध में निम्न प्रावधान किया गया हैः

4(b) In sub-paragraph (II), in the Note to item (i), for the figure and word "65 years" the words "Seventy years" shall be substituted.

अतः उक्त प्रावधानों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त बी.एड. एवं अन्य महाविद्यालयों के लिये अंगीकृत किये जाने हेतु प्रकरण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष पुनः विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय **वि0वि0 से सम्बद्ध बी.एड. महाविद्यालयों में प्राचार्य हेतु 70 वर्ष तथा अन्य महाविद्यालयों में 65 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया गया साथ ही उपर अंकित Head के स्थान पर Head of institution पढ़ा जावे।**

मद सं. 10 **सत्र 2010–2011 में महाविद्यालयों में कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये एम.टेक., एम.सी.ए. के समान कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पी.एचडी. योग्यताधारी नियुक्त शिक्षकों को योग्य माने जाने एवं सत्र 2011–2012 के लिये संकायाध्यक्ष – विज्ञान संकाय द्वारा कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की कमी के आधार पर निर्धारित योग्यताओं में शिथिलता प्रदान करते हुए प्रस्तावित योग्यताओं को प्रवृत करने के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय करना।** **शैक्षणिक-।।**

स्पष्टीकरण

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं होने को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 के मद सं. 2 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था।

मद सं. 2

प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 8.08.2010 को सम्पन्न हुई 71वीं बैठक के कार्यवृत (Minutes) की पुष्टि करना ।

निर्णय

कार्यवृत की पुष्टि इस प्रेक्षण के साथ की गयी कि निर्णय सं. 20 निम्नानुसार पढा जावे : वर्ष 2009–2010 में महाविद्यालयों को कम्प्यूटर आधारित कोर्सेज में शिक्षकों की निर्धारित योग्यता में शिथिलता प्रदान कर अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने का निर्णय किया गया। साथ ही वर्ष 2010–2011 में शिक्षकों की योग्यता में शिथिलता प्रदान करते हुए सीटों का आवंटन व वृद्धि की जा सकती है। इस हेतु एम.टेक. तथा एम.सी.ए. के साथ ही फिजिक्स, मेथेमेटिक्स तथा स्टेटिस्टिक्स विषय पढाने वाले योग्यताधारी शिक्षक भी बी.सी.ए.,

पीजीडीसीए, बी.एससी. आई.टी. जैसे कम्प्यूटर आधारित कोर्स का अध्ययन करा सकेंगे। सत्र के दौरान महाविद्यालय योग्यताधारी शिक्षकों को जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से योग्यता निर्धारित है, के अनुसार नियुक्त करने की कार्यवाही करे । कार्यवाही रिपोर्ट जैसे विज्ञापन राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित करवाकर विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करवायें अन्यथा सत्र 2011–2012 से महाविद्यालय के लिये सभी प्रकार के बी.सी.ए. पी.जी.डी. सी.ए. बी.एससी. आई.टी. जैसे इन पाठ्यक्रमों की महाविद्यालय से सम्बद्धता समाप्त हो जायेगी।

प्रबन्ध बोर्ड के उपरोक्त निर्णयानुसार समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय पत्रांकः 41432–586 दिनांक 24.10.2011 के द्वारा सूचित किया गया था।

प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सत्र 2010–2011 हेतु कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के लिये शिक्षकों हेतु निर्धारित योग्यताओं में कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पी.एचडी. उपाधि धारक को सम्मिलित नहीं किया गया था। जिसके क्रम में कतिपय महाविद्यालयों से कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पी.एचडी. की उपाधि प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक होने के कारण कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पी.एचडी. उपाधि धारक व्यक्ति को कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों के शिक्षण हेतु योग्यताधारी शिक्षक मान्य किये जाने के सम्बद्ध में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर माननीय कुलपति महोदय के आदेशानुसार संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय के द्वारा सत्र 2010–2011 में कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु एम.सी.ए. एम.टेक. के साथ कम्प्यूटर विज्ञान में एम.फिल. व पी.एचडी. योग्यताधारी शिक्षक को भी योग्य माने जाने की अनुशंसा की गई । किन्तु यह केवल उन्हीं महाविद्यालयों के लिये लागू होगी जिनके द्वारा सत्र 2010–2011 में ऐसे योग्यताधारी शिक्षकों को नियुक्ति दी गई हो।

इसके अतिरिक्त प्रबन्ध बोर्ड द्वारा कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं में प्रदत्त शिथिलता सत्र 2010–2011 हेतु मान्य होने एवं सत्र 2011–2012 में भी कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु योग्यताधारी शिक्षकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय द्वारा उक्त पाठ्यक्रमों के शिक्षकों हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं में शिथिलता प्रदान करने एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित योग्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2011–2012 के लिये कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों हेतु निम्नानुसार योग्यतायें निर्धारित किये जाने की अनुशंसा की गई :

1. Post-graduate degree in Computer Science/MCA or related (Information Technology) with NET (as per UGC norms)

OR

2. M.E./M.Tech. in Computer Science (AICTE)

OR

3. MCA in Computer Science with minimum 60% marks aggregate (AICTE)

OR

4. Ph.D./M.Phil. in Computer Science

OR

5. *M.Sc. Computer Science/Information Technology with minimum 60% marks aggregate

*Applicable only for under-graduate BCA/B.Sc. (IT/CS)/ Vocational Courses/PGDCA and Computer Science/Computer Application papers in other degrees in Humanities and Sciences.

महाविद्यालयों को कालांतर में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी एवं इस सम्बन्ध में किये गये प्रयासों/कार्यवाही की सूचना विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। सत्र 2011–2012 में कम्प्यूटर आधारित पाठ्यक्रमों में निर्धारित योग्यता में शिथिलता हेतु प्रबन्ध बोर्ड द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर महाविद्यालय में नियुक्त शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करनी होगी।

संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय द्वारा अनुशंसित योग्यताओं को माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए उक्त योग्यताओं में शिथिलता को लागू किये जाने के सम्बन्ध में विचार करना।

निर्णय **वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 हेतु उपरोक्तानुसार शिथिलता लागू करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 11 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र क्रमांक एफ 3-1/94 (P.S.7) दिनांक 19.10.2006 के संबंध में प्रबन्ध बोर्ड ने अपने निर्णय संख्या 25 दिनांक 27.11.2009 के अनुसार विश्वविद्यालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष को केरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति लाभ प्रदान करने की योजना को स्वीकार किया गया जिसके अंतर्गत 6 वर्ष की सेवा के साथ दो रिफ्रेशर कोर्स की अवधि केवल 4 सप्ताह ही मान्य की गयी, इसी क्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 3-1/94 (P.S.) दिनांक 11.02.2008 जिसमें रिफ्रेशर कोर्स की अवधि को अब 3 से 4 सप्ताह मान्य की गयी है, उक्त प्रावधान को प्रवृत्त करने पर विचार करना। **संस्थापन**

निर्णय **उपरोक्तानुसार लागू करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 12 प्रबन्ध बोर्ड की 77वीं बैठक के मद संख्या 22 की अनुपालना में कार नं0 RJO1-C- 5368 स्टेट मोटर गैराज राजस्थान सरकार, जयपुर भेजकर नीलाम करवा दी गई है एवं माननीय कुलपति महोदय के उपयोग हेतु एक नई कार क्रय करने की सक्षम स्वीकृति हेतु राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, जयपुर को पत्र क्रमांक 128 दिनांक 11.08.2012 प्रेषित किया। इस संबंध में संयुक्त सचिव का पत्र क्रमांक 14(20)/शिक्षा–4/2007 दिनांक 10.10.2012 प्राप्त हुआ, के अनुसार एक टाटा इंडिगो (डीजल लोअस्ट मॉडल)/ स्विप्ट डिजायर एल.डी.आई. (डीजल) जो DGS&D R.C या राजकीय विभागों के लिये लागू विशेष दर पर क्रय किये जाने की सहमति प्रदान की गई। **सा0प्र0/पूल अनुभाग**

माननीय कुलपति महोदय एक सम्मानीय पद हैं। अतः इनके उपयोग हेतु एक स्विप्ट डिजायर एल.डी.आई. के स्थान पर वी.डी.आई. (डीजल) (समस्त सुविधायुक्त)डीजीएस एण्ड डी/कम्पनी से क्रय करने हेतु प्रबन्ध मण्डल के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय **माननीय कुलपति महोदय के स्तर एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए डीजीएस एण्ड डी अथवा कम्पनी दर पर स्विफ्ट डिजायर जेडडीआई शीघ्र क्रय करने का निर्णय लिया गया ।**

मद सं. 13 प्रबन्ध मण्डल की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 में निर्णय संख्या 21 की अनुपालना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों की सम्बद्धता) विनियम, 2009 को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालयों में लागू करने हेतु अंगीकृत एवं मान्य करने के लिये समिति का गठन किया गया। उक्त समिति की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2010 को आयोजित की गई। उक्त समिति की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2010 का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड की 72वीं बैठक दिनांक 18.12.2010 की अनुपालना रिपोर्ट के साथ शैक्षणिक प्रथम को प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में रखे जाने हेतु भिजवाया गया था। उक्त कार्यवृत्त को शैक्षणिक–प्रथम द्वारा प्रबन्ध बोर्ड की 74वीं बैठक दिनांक 05.03.2011 मद संख्या 2 पर रखा गया था। प्रबन्ध बोर्ड की उक्त बैठक में इस मद को स्थगित कर दिया गया। इसके पश्चात् प्रबन्ध बोर्ड की 75वीं बैठक दिनांक 26.03.2011 मद संख्या 4 पर केवल अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। किन्तु उक्त बैठक के कार्यवृत्त को प्रस्तुत नहीं किया गया। **शैक्षणिक II**

अतः प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 28 अगस्त, 2010 में निर्णय संख्या 21 की अनुपालना में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को सम्बद्धता) विनियम, 2009 को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों तथा सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालयों में लागू करने हेतु अंगीकृत एवं मान्य करने के लिए गठित समिति की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2010 का कार्यवृत्त प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखे जाने हेतु प्रस्तुत है। (**परिशिष्ट XXI**)

निर्णय **कार्यवृत स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 14 प्रो0 सर्वेश पालरिया, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, रिमोट सैंसिंग दिनांक 21-22, अगस्त, 2012 को Earth Science, 2012, Organizing Committee OMICS Group Conferences, 5716 Corsa Ave, Suite 110 Westlalce Los Angeles, CA 91362-7354, USA द्वारा आयोजित International Conference on Earth Science and Climate Change, Chicago, U.S.A. Oral Presentation हेतु चयन हुआ है। **लेखा एवं वित्त**

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क.9(1)आय व्यय/20101 दिनांक 30.06. 2010 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार विदेश यात्रा हेतु वित्त विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी की शिथिलता/पूर्वानुमति लिया जाना आवश्यक है तथा उक्त परिपत्र में राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्डस् एवं निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्ति पदों के सृजन एवं क्रमोन्नयन के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य मामलों में अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक हो तो उस पर संचालक मण्डल (BOM) निर्णय कर सकेगा। अतः श्री पालरिया को उक्त Conference में भाग लेने की Chicago, U.S.A. की यात्रा हेतु शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु मद प्रस्तुत है। (**परिशिष्ट XXII**)

निर्णय **शिथिलता प्रदान करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 15 माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 02.11.2012 की पालना में कार्यालय आदेश **लेखा एवं वित्त**

क्रमांक 6(38)विवले-II/मदसविवि/त्यौं अग्रिम/2012-13/ 35200 दिनांक 03.11.2012 जारी किया गया। **(परिशिष्ट XXIII)** द्वारा कर्मचारियों के मांग के अनुसार त्यौंहार अग्रिम राशि रूपये रू. 500/- (अक्षरे पाँ सौ) मात्र से बढ़ाकर रूपये 10000/- (अक्षरे दस हजार) मात्र की गई, जो ब्याज मुक्त है। जिसकी वसूली चार समान किश्तों से बढ़ाकर दस किश्त की गई। उक्त कार्यवाही विश्वविद्यालय बजट, वित्त एवं लेखा नियम 1997 के नियम 112 के बिन्दु 1 **(परिशिष्ट XXIV)** में रू. 500/- के स्थान पर रू. 10000/- एवं बिन्दु 3 में वसूली की किश्तें **Not more than four के स्थान पर Not more than Ten संशोधित** की जानी है।

अतः उक्त आदेश प्रबन्ध मण्डल से अनुमोदित किए जाने हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय **अनुमोदित किया गया।**

मद सं. 16 कर्मचारियों ने संयुक्त हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर निवेदन किया है कि पूर्व में केवल नए वाहन को क्रय करने हेतु ऋण सीमा में बढ़ोतरी की गई, किन्तु पुराने वाहन को क्रय करने हेतु ऋण सीमा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। **लेखा एवं वित्त**

अतः कर्मचारियों ने निवेदन किया है कि उक्त ऋण सीमा 6 माह के मूल वेतन से बढ़ा कर 10 माह तथा अधिकतम ऋण सीमा 1,00,000/- से बढ़ाकर 2,00,000/- तक बढ़ोतरी की जावे। उक्त प्रकरण में माननीय कुलपति महोदय ने दिनांक 16.05.2012 को अनुमोदन किया है।

अतः विश्वविद्यालय बजट, वित्त एवं लेखा नियम 1997 के नियम 125 **(परिशिष्ट XXV)** में पुरानी कार/जीप हेतु 6 महिने का वेतन या 1,00,000/- के स्थान पर 10 महिने का वेतन या 2,00,000/- करने का संशोधन हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **अनुमोदित किया गया।**

मद सं. 17 नगर सुधार न्यास अजमेर के पत्र क्रमांक न्यास/प-3/12/286 दिनांक 23.7.2012 के तहत अफोर्डेबल आवासीय नीति-2009 के तहत आवास निर्माण करने हेतु विश्वविद्यालय की पृथक-पृथक टुकड़ों में आवंटित की गई भूमि (लगभग 97-04-02 बीघा) यू.आई.टी. के द्वारा लिये जाने एवं उतनी ही भूमि विश्वविद्यालय के एक ही जगह दिये जाने का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि विश्वविद्यालय आवंटित भूमि का सद्-उपयोग कर सके। (पत्र की प्रति संलग्न है)

विश्वविद्यालय से ली जाने वाली भूमि व आवंटित की जाने वाली भूमि का कार्य तकनीकी (राजस्व) होने के कारण नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा बताये गये भूमि के खसरा नम्बरों एवं विश्वविद्यालय को आवंटित किये जाने वाले खसरा नम्बरों के सत्यापन एवं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु विश्वविद्यालय में पूर्व में कार्यरत रहे तकनीकी जानकार सेवानिवृत्त तहसीलदार को यह कार्य रूपये 35,000/- में तीन माह की अवधि में पूर्ण करने हेतु जॉब वर्क के आधार पर आवंटित किये जाने पर विचार करने हेतु मद प्रस्तुत है। **(परिशिष्ट XXVI)** **सहायक अभियंता/ संस्थापन**

निर्णय **सेवानिवृत तहसीलदार को रू0 35000/- में उपरोक्तानुसार आवंटित कार्य तीन माह की अवधि में पूर्ण कराने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 18 इस विश्वविद्यालय में बजट एवं लेखा नियम, सेवानियम तथा विभिन्न नियम यथा यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता आदि में हुए काफी समय लगभग 15 वर्ष हो गये हैं, राज्य सरकार **लेखा एवं वित/संस्थापन**

द्वारा इस अवधि में काफी संशोधन हुए हैं। अतः विश्वविद्यालय के पूर्व प्रचलित सभी नियमों में वर्तमान व्यवहारिकता के मद्देनजर, नियमों को अभी तक संशोधन को शामिल करते हुए नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। इस कारण इस हेतु लेखा सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी, श्री के.सी. टेलर, पूर्व निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर की सेवाएँ लिए जाने एवं इस कार्य हेतु राशि रूपये 1 लाख के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है

निर्णय **अनुमोदित किया गया साथ ही निर्णय किया कि श्री के.सी.टेलर द्वारा निर्मित प्रस्तावित नियम वित नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात प्रबंध बोर्ड में विचारार्थ प्रस्तुत रखे जावें।**

मद सं. 19 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर के द्वारा अन्तरमहाविद्यालय एवं अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों एवं कोच/मैनेजर को दिए जाने वाले दैनिक भत्ता, किटमनी, जलपान, कुली चार्ज, बस किराया, मेडिकल, रेल किराया एवं स्थानीय भत्ते आदि को सत्र 2012-13 से संशोधन हेतु प्रस्तावित मद **स्पोर्टस बोर्ड**

क्रं. सं.	विवरण	अन्तरमहाविद्यालय हेतु	अन्तरविश्वविद्यालय हेतु
1.	दैनिक भत्ता	200.00	300.00
2.	किटमनी	550.00	1200.00
3.	जलपान	25.00 प्रति मैच	25.00 प्रति मैच
4.	कुली चार्ज	20.00	20/- एक तरफ के
5.	बस किराया	सामान्य श्रेणी का वास्तविक किराया	सामान्य श्रेणी का वास्तविक किराया
6.	मेडिकल	200.00 ग्लूकोज हेतु मेडिकल का पूरा भुगतान	300.00 ग्लूकोज हेतु मेडिकल का पूरा भुगतान
7.	रेल किराया	द्वितीय श्रेणी तक का रिजरवेशन किराया (कन्सेशनल)	द्वितीय श्रेणी तक का किराया (कन्सेशनल)
8.	स्थानीय भत्ता	50/- एक तरफ का	50/- एक तरफ का

नोटः- अन्तरविश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में कोच/मैनेजर को प्रस्तावित दैनिक भत्ता 300.00 रू. प्रति दिन, किटमनी 1200.00 रू. जलपान 25.00 रू. प्रति मैच कुली चार्ज 20/- रू. एक तरफ के । मद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा दी जा रही दरों को इस विश्वविद्यालय में भी लागू करने का निर्णय लिया गया साथ ही भविष्य में परिस्थिति एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इन दरों में वृद्धि करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया ।**

मद सं. 20 The University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2010 में वर्णित विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर , Librarian, Deputy Librarian, Assistant Librarian, Director Physical Education, Deputy Director Physical Education एवं Assistant Director Physical Education के पदों पर सीधी भर्ती एवं कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत इनपदों पर की जाने वाली नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों के लिए वर्णित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं/वांछित योग्यताओं और अर्हताओं को प्रवृत्त एवं मान्य किये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत मद **(परिशिष्ट XXVII)** — **संस्थापन**

निर्णय **विश्वविद्याय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक/वांछित योग्यताओं और अर्हताओं को प्रवृत्त एवं मान्य करने का निर्णय लिया गया।**

मद सं. 21 दिनांक 08.08.2011 को सम्पन्न प्रबंध बोर्ड की 76वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना (परिशिष्ठ- **XXVII**) — **शैक्ष0–।**

निर्णय **अनुमोदन किया गया ।**

मद सं0 22 दिनांक 23.02.2012 को सम्पन्न प्रबंध बोर्ड की 77वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना (परिशिष्ठ- **XXIX**) — **शैक्ष0–।**

निर्णय **प्रबन्ध बोर्ड की 77वीं बैठक दिनांक 23.2.2012 के मद संख्या 11 को आगामी प्रबन्ध बोर्ड की बैठक में विचारार्थ स्थगित किया गया। शेष का अनुमोदन किया गया।**

मद सं. 23 दिनांक 07.04.2012 को सम्पन्न प्रबंध बोर्ड की 78वीं बैठक के कार्यवृत पर बिन्दुवार की गई कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन कर अनुमोदन करना (परिशिष्ठ- **XXX**) — **शैक्ष0–।**

निर्णय **अनुमोदन किया गया ।**

मद सं. 24 एकल पीठ की सिविल रिट पिटिशन संख्या 3485/2002 विनोद कुमार एवं अन्य बनाम म0द0स0 विश्वविद्यालय, अजमेर एवं अन्य में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर के प्रेक्षण एवं विश्वविद्यालय अधिवक्ता की राय अनुसार विश्वविद्यालय में कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधारात्मक उपायों (corrective measures) के संबंध में विचार कर निर्णय करना। — **संस्थापन**

निर्णय **प्रकरण में विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् निर्णय किया गया कि इन नियुक्तियों की जांच हेतु एक समिति निम्नानुसार गठित की जावे :**

1. **प्रो0 रमाकान्त ,संयोजक**
2. **प्रो0 पी.एस.वर्मा, सदस्य**
3. **प्रो0 जे.के.मलिक, सेवानिवृत विभागाध्यक्ष, विधि,राजस्थान वि0वि0, जयपुर**
4. **प्रो0 जी.के.कलसी, सदस्य**

5. **कुलसचिव-सदस्य सचिव**

प्रजेण्टिंग ऑफिसर : उप कुलसचिव, संस्थापन एवं मुख्य विधि सहायक

अन्य इसके अतिरिक्त माननीय अध्यक्ष एवं कुलपति महोदय की अनुमति उपरान्त निम्न मुद्दो पर भी चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए -

1.	**विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की रिव्यू डी.पी.सी. के प्रकरण में कुलसचिव, वित नियंत्रक, एवं विशेषाधिकारी प्रकरण का परिक्षण कर, जो भी नियमानुसार प्रक्रिया हो कार्यवाही अनुशंसित करें।**	**संस्थापन**
2.	**विश्वविद्यालय के योग एवं मानव चेतना विभाग में कार्यरत शिक्षकों के पारश्रमिक के संबध में संबधित संस्था से एम0ओ0यू0 कराकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।**	**संस्थापन**
3.	**विश्वविद्यालय की विभिन्न शैक्षिक व अन्य उपलब्धियों को रिकोर्डेड किये जाने हेतु एक न्यूज लेटर तैयार करने का निर्णय किया गया।**	**सामा. प्रशा.**

बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई तथा कुलसचिव महोदय ने उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया।

कुलपति **कुलसचिव**